

कार्यवृत्ति

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का अर्हता तिथि 01-01-2017, के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 12.09.2016 को अपराह्न 5.00 बजे समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष/मंत्री एवं सम्बन्धित अधिकारियों की बैठक की कार्यवृत्ति :-

उपस्थित अधिकारीगण का नाम

- 1- श्री अरुण कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी मोहम्मदाबाद/नि०र०अ० मोहम्मदाबाद
- 2- श्री राजकुमार, उप जिलाधिकारी/ नि०र०अ० जमानियों
- 3- श्री बृजेश कुमार वर्मा, तहसीलदार स०नि०र०अ० सदर, गाजीपुर
- 4- श्री संजय कुमार सिंह, तहसीलदार, स०नि०र०अ०, जखनियों
- 5- श्री चन्द्रशेखर वर्मा, नायब तहसीलदार, कासिमाबाद
- 6- श्री रामकरन, आर०के०

मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष/मंत्री

- 7- श्री अमेरिका सिंह यादव, सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
- 8- श्री राम शुक्ला जिला कौंसिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
- 9- श्री अशोक राम, जिला महासचिव, बहुजन समाज पार्टी
- 10- श्री सदानन्द यादव, महासचिव, समाजवादी पार्टी
- 11- श्री रवि कान्त राय, सचिव, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
- 12- श्री सुनील कुमार सिंह, सदस्य प्रदेश कार्यसमिति, भारतीय जनता पार्टी
- 13- श्री ओमप्रकाश राम, जिला म्हामंत्री, भारतीय जनता पार्टी

उपरोक्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं अधिकारीगणों को सम्बोधित करते हुये अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा अर्हता तिथि-01.01.2017 के आधार पर प्रस्तावित विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के सम्बन्ध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये कार्यक्रम की जानकारी दी गयी तथा उसकी हार्ड कापी सभी उपस्थित मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के उपस्थित प्रतिनिधियों को उपलब्ध करायी गयी। निम्न बिन्दुओं पर सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों का ध्यान आकर्षित करते हुये अनुरोध किया गया कि जनपद में स्थापित समस्त मतदान केन्द्रों पर बूथ लेबिल ऐजेन्टों की नियुक्ति आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर करके एक प्रति कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- सभी मतदेय स्थलों पर पुनरीक्षण कार्य में प्रयोग होने वाले फार्म-6, 7, 8 एवं 8 ए की पर्याप्त संख्या में सभी मतदान केन्द्रों पर उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया गया।

- 3- सभी मान्यता प्राप्त दलों से यह भी अनुरोध किया गया की पुनरीक्षण के दौरान किसी भी बूथ लेबिल एजेन्ट द्वारा एक बार में 10 फार्म तथा पूरे पुनरीक्षण के दौरान कुल 30 फार्म घोषणा पत्र के साथ सम्बन्धित पदाविहित स्थलों पर उपस्थित बूथ लेबल आफिसर (बी0एल0ओ0)/पदाविहित अधिकारी को उपलब्ध कराते हुये प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लेगे।
- 4- यह भी अवगत कराया गया कि जिन घरों में ऐसे व्यक्ति मिलते हैं, जिनका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं है अथवा फार्म-6 लेकर नाम जोड़ने की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी है, उनसे फार्म-6 भरवा लिया जाय।
- 5- सर्वेक्षण के दौरान सभी बी0एल0ओ0 अपने से सम्बन्धित क्षेत्र के समस्त नये मकानों और कालोनियों के मकानों का भी सर्वेक्षण सुनिश्चित कराये जाने हेतु नि0र0अ0/स0नि0र0अ0 को निर्देशित किया गया।
- 6- पुनरीक्षण के दौरान विशेष अभियान तिथियों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि दिनांक-18 सितम्बर 2016, 25 सितम्बर 2016, 09 अक्टूबर 2016 एवं 23 अक्टूबर 2016, को पड़ने वाले रविवार के दिनों में मतदाता पंजीकरण हेतु सभी मतदान केन्द्रों पर विशेष अभियान की तिथि आयोजित की गयी है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा अर्हय मतदाताओं के नाम जोड़वाने की अपील की गयी।

अन्त में उपस्थित अधिकारियों एवं मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक में उपस्थित होने एवं विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2017 को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु सहयोग/अपील करते हुये बैठक की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गयी।

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी,

जनपद-गाजीपुर (उत्तर प्रदेश)

पत्र संख्या 1322 / निर्वाचन-826/11

दिनांक: 15 सितम्बर, 2016

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ को उनके पत्र संख्या-3258/सी0ई0ओ0-4-32/4-2016 दिनांक 29 अगस्त 2016 के क्रम में प्रेषित।
- 2- आयुक्त वाराणसी मण्डल वाराणसी।
- 3- जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 4- समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/स0नि0र0अ0, जनपद-गाजीपुर।
- 5- जिला सूचना अधिकारी गाजीपुर को इस आशय से प्रेषित की सभी दैनिक समाचार पत्रों में जनसाधारण की जानकारी हेतु निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

अपर जिलाधिकारी(वि./रा.)/
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
गाजीपुर।